झारखण्ड सरकार

पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

सं0सं0- म0नि0-II-उ0यो0- 9 /2012-13/ 03 /मत्स्य, राँची, दिनांक 27.04.12

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार

झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन मांग संख्या-53 अंतर्गत जलाशय मत्स्य का विकास योजना (राज्य योजना) का कुल मो0 400.00 लाख (चार करोड़) रु0 मात्र के अनुमानित लागत पर व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0-02 दिनांक 6.05.2011 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के विभिन्न जलाशय/चेकडैम/कोलपिट/कोईरी वैसे स्थिर जलक्षेत्र, जो माइनिंग के बाद बचे हों, के कुल 1,06,000 हेक्टर जलक्षेत्र में 530 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जलाशया मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को नाव एवं समिति के सदस्यों को गिलनेट उपलब्ध कराने के साथ-साथ जलाशयों में केज में मछली पालन करने का निर्णय लिया है। तदनुसार संलग्न विवरणी I,II एवं III में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार कुल मो0 400.00 लाख (चार करोड़) रु0 मात्र के अनुमानित लागत पर राज्य सरकार के द्वारा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं इसके अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन मांग संख्या-53 अंतर्गत निम्न तीन लघु शीर्षों के निम्न मदों में प्राप्त बजट उपबंध के अनुरुप किया जायेगा, जिसके लिये राज्य योजना में समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है:-

क्र0	शीर्ष/ लघुशीर्ष / उपशीर्ष/ विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1	**मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना- उप शीर्ष-02-जलाशय मत्स्य का विकास योजना** विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500789020323	50.00
2	**मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना-उप शीर्ष-02-जलाशय मत्स्य का विकास योजना** विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500796020323	190.00
3	**मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-02-जलाशय मत्स्य का विकास योजना** विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500101020323	160.00
	कुल योग :	**400.00**

3. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा चयनित जलाशयों एवं चेक डैम/कोलपिट/कोईरी वैसे स्थिर जलक्षेत्र, जो माइनिंग के बाद बचे हों, में संचित की जाने वाली अंगुलिकाओं की संख्या का अनुमोदन सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से कराया जायेगा।

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी दिनांक 31.05.2012 तक अपने-अपने जिले के सदाबहार जलाशय/ चेकडैम/कोलपिट/कोईरी वैसे स्थिर जलक्षेत्र, जो माइनिंग के बाद बचे हों एवं जिनमें अंगुलिकाओं का संचयन किया जायेगा, की सूची भौतिक निरीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. जलाशयों पर गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों को प्रति सदस्य मो0 2000/- रु0 का फॉसा जाल क्रय करने पर 50 प्रतिशत अथवा मो0 1000/- रु0 में जो भी कम हो, अनुदान का भुगतान किया जायेगा तथा समितियों को प्रति समिति एक नाव क्रय करने पर मो0 10,000/-रु0 अथवा नाव के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा मो0 10000/- रु0 में जो भी कम हो, अनुदान का भुगतान चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

5. विभिन्न जिलों के लिये निर्धारित लक्ष्य की मासिक कार्य-योजना तैयार कर निदेशक मत्स्य के स्तर से अनुश्रवण करते हुए विभाग को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्रतिवेदित किया जायेगा तथा निर्धारित समयावधि के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

6. इस योजना के तहत आपूर्ति एवं सामग्री मद से मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन/क्रय पर मो0 500/-रु0 (पॉच सौ) प्रति हजार की दर से लागत व्यय पर जलाशय/ चेकडैम/ कोलपिट/कोईरी वैसे स्थिर जलक्षेत्र, जो माइनिंग के बाद बचे हों, के जलक्षेत्र के अनुसार अंगुलिकाओं का संचयन किया जायेगा।

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर सचिव की सहमति के पश्चात परिवर्तित किया जा सकेगा।

03
27.4.12

7. 50 हे0 तक के जलाशय/ चेकडेम/ वैसे स्थिर जलक्षेत्र, जो माइनिंग के बाद बचे हों, में अंगुलिकाओं के संचयन का दर 2000 अंगुलिकाएँ प्रति हे0 होगा तथा 50 हे0 से उपर तथा 500 हे0 तक के जलाशयों में संचयन का दर 1000 अंगुलिकाएँ प्रति हे0 होगा 500 हे0 से उपर जलक्षेत्र के जलाशयों में संचयन का दर 500 अंगुलिकाएँ प्रति हे0 होगा ।

8. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा।

समेकित मात्स्यिकी को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों से अथवा विभागीय स्तर पर 500/-रु0 प्रति हजार की दर से मत्स्य अंगुलिकाओं का क्रय/ उत्पादन संलग्न जिलावार लक्ष्य परिशिष्ट- I, II एवं III के अनुसार किया जायेगा।

9. (क) केज कल्चर के लिये चार सेल (केज) की एक इकाई होगी। केज अधिष्ठापन, बीज दवा, आहार आदि का व्यय संलग्न परिशिष्ट I, II एवं III के कॉलम '11' में अंकित राशि से किया जायेगा। केज निर्माण एवं अधिष्ठापन के पश्चात् इसका प्रबंधन जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा किया जायेगा।
(ख) एन0 एम0 पी0 एस0 योजनांतर्गत केज प्रबंधन हेतु निर्गत कार्यकारी निदेश के आलोक में ही कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसॉवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी एवं कोडरमा होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी I, II एवं III के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

11. प्रमंडलीय स्तर पर योजना के नियंत्री पदाधिकारी उप मत्स्य निदेशक, रॉची/हजारीबाग तथा राज्य स्तर पर सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. राशि का व्यय स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

14. योजना तथा सी0ओ0बी0टी0 में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

03
27.4.12

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक 188 दिनांक 13.02.2012 के द्वारा विभाग को प्रदत्त शक्ति सीमा के अधीन है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

27.4.12

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.4.12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.04.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.4.12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.04.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, मत्स्य भवन, डोरण्डा, रॉची/उप मत्स्य निदेशक, रॉची एवं हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.4.12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.04.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना विकास एवं कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, रॉची / वित्त विभाग, बजट शाखा एवं योजना शाखा/आ0 वि0 सलाहकार, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त सभी एवं उप विकास आयुक्त सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.4.12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 27.4.12

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, मुख्य सचिव के सचिव, विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव एवं सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

27.4.12

सरकार के सचिव

परिशिष्ट II

झारखण्ड सरकार

पशुपालन एंव मत्स्य (मत्स्य) विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माँग संख्या-53 मत्स्य मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना- उप शीर्ष-02-जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अंतर्गत जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अंतर्गत जिलाबार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	जलक्षेत्र (हिक्टर में)	अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य संख्या (संख्या लाख में)	वित्तीय लक्ष्य राशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
1	राँची	2000	10	5.00
2	खूटी	500	3	1.25
3	गुमला	3000	15	7.50
4	सिमडेगा	1000	5	2.50
5	लोहरदगा	400	2	1.00
6	लातेहार	2000	10	5.00
7	प0 सिंहभूम	1000	5	2.50
8	पूर्वी सिंहभूम	1000	5	2.50
9	सरायकेला	2000	10	5.00
10	दुमका	2000	10	5.00
11	जामताड़ा	200	1	0.50
12	साहेबगंज	400	2	1.00
13	पाकुड़	300	2	0.75
14	हजारीबाग	500	3	1.25
15	रामगढ	300	2	0.75
16	कोडरमा	500	3	1.25
17	चतरा	100	1	0.25
18	बोकारो	500	3	1.25
19	गिरिडीह	400	2	1.00
20	धनबाद	400	2	1.00
21	गोड्डा	500	3	1.25
22	पलामू	400	2	1.00
23	गढ़वा	500	3	1.25
24	देवघर	100	1	0.25
	कुल	20000	100	50.00

नोट: वित्तीय लक्ष्य को आबंटन नहीं समझें।

03
27.4.12

(अरुण कुमार सिंह)

परिशिष्ट I

झारखण्ड सरकार

पशुपालन एंव मत्स्य (मत्स्य) विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-02-जलाशय मत्स्य का विकास योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टर में)	जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को जाल आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को जाल आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति को नाव आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति को नाव आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 मे)	केज कल्चर का भौतिक लक्ष्य (सं. में)	केज कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राँची	3000	15	7.50	600	6.00	30	3.00	8	8.00	24.50
2	खूंटी	1600	8	4.00	200	2.00	12	1.20	0	0.00	7.20
3	गुमला	9000	45	22.50	500	5.00	36	3.60	8	8.00	39.10
4	सिमडेगा	3000	15	7.50	200	2.00	16	1.60	0	0.00	11.10
5	लोहरदगा	1400	7	3.50	200	2.00	12	1.20	0	0.00	6.70
6	लातेहार	1600	8	4.00	200	2.00	16	1.60	0	0.00	7.60
7	प0 सिंहभूम	3400	17	8.50	300	3.00	26	2.60	0	0.00	14.10
8	पूर्वी सिंहभूम	4000	20	10.00	600	6.00	36	3.60	0	0.00	19.60
9	सरायकेला	10000	50	25.00	800	8.00	56	5.60	0	0.00	38.60
10	दुमका	3000	15	7.50	400	4.00	20	2.00	8	8.00	21.50
	कुल	**40000**	**200**	**100.00**	**4000**	**40.00**	**260**	**26.00**	**24**	**24.00**	**190.00**

नोट: वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

03 27.4.12

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट III
झारखण्ड सरकार
पशुपालन एंव मत्स्य (मत्स्य) विभाग

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन –उप शीर्ष–02–जलाशय मत्स्य का विकास योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क0	जिला का नाम	जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टर में)	जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को जाल आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 मे)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को जाल आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 मे)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति को नाव आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 मे)	मत्स्यजीवी सहयोग समिति को नाव आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 मे)	केज कल्चर का भौतिक लक्ष्य (सं. में)	केज कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हजारीबाग	5000	25	12.50	600	1.20	30	3.00	0	0.00	16.70
2	रामगढ़	2000	10	5.00	400	0.80	12	1.20	0	0.00	7.00
3	कोडरमा	3000	15	7.50	500	1.00	36	3.60	4	4.00	16.10
4	चतरा	3000	15	7.50	200	0.40	16	1.60	0	0.00	9.50
5	बोकारो	5000	25	12.50	400	0.80	12	1.20	4	4.00	18.50
6	गिरिडीह	2000	10	5.00	400	0.80	16	1.60	0	0.00	7.40
7	धनबाद	14000	70	35.00	500	1.00	26	2.60	4	4.00	42.60
8	गोड्डा	600	3	1.50	600	1.20	36	3.60	0	0.00	6.30
9	पलामू	4000	20	10.00	800	1.60	56	5.60	0	0.00	17.20
10	गढ़वा	5000	25	12.50	500	1.00	20	2.00	0	0.00	15.50
11	देवघर	400	2	1.00	600	1.20	10	1.00	0	0.00	3.20
	कुल	**44000**	**220**	**110.00**	**5500**	**11.00**	**270**	**27.00**	**12**	**12.00**	**160.00**

नोटः वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

03
27.4.12

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव